श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न आन्तरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति – यथापंजी।

2. राष्ट्रीय बचत :–

राष्ट्रीय बचत से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह जुलाई तक कुल 10.75 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्ति हुई जो वार्षिक लक्ष्य का 59.73% है।

इस तरह से राष्ट्रीय बचत का उपलब्धि अच्छा है।

3. वाणिज्य कर :–

वाणिज्यकर से संबंधित माह जुलाई के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 70.96 करोड़ के विरूद्ध 12.04 करोड़ हुई है, जो वार्षिक लक्ष्य का 16.97% है।

सहायक वाणिज्यकर आयुक्त को निदेश दिया गया कि राजस्व वसूली में तेजी लायें, जिससे कि वार्षिक लक्ष्य अन्त तक पूरा हो सके।

4. विद्युत :–

विद्युत से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में वार्षिक लक्ष्य 157.68 करोड़ के विरूद्ध माह जुलाई तक 16.08 करोड़ हुयी है, जो वार्षिक लक्ष्य का बंकाया एवं हाल का 10.20% है।

कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल, मुंगेर को गत् बैठक में निदेश दिया गया था कि पूर्व में की गयी छापेमारी के विरूद्ध किये गये प्राथमिकी की सूची अभियुक्त सहित थाना–वार एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे, परन्तु एक माह से अधिक समय बीतने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि वसूली में तेजी लायें एवं गत् बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. निबंधन :–

निबंधन से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रमें पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध जिला अवर निबंधक कार्यालय, मुंगेर में 27.24%, खड़गपुर में 21.47% एवं तारापुर में 28.22% राजस्व की प्राप्ति हुई है। कुल मिलाकर जिला का 8.97 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो संतोषप्रद है।

जिला के सभी अवर निबंधन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भूमि का मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यतन देखकर ही निबंधन करेंगे। यदि निबंधन की राशि कम कर निबंधन किया जाएगा तो कम की गयी राशि की वसूली आप से की जाएगी।

6. <u>उत्पाद :–</u>

उत्पाद विभाग से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन से विदित होता है कि माह जुलाई, 2013 तक लक्ष्य के विरूद्ध 7.96 करोड़ की वसूली हुई है। लक्ष्य के विरूद्ध वसूली 16.43% हुई है।

गत् बैठक में अधीक्षक उत्पाद को निदेश दिया गया था कि वसूली हेतु छापामारी के साथ अन्य कारगर कदम उठायेंगे एवं जिला के 18 दूकान जिसकी बन्दोबस्ती नहीं हुई है, उसे बन्दोबस्त करने की कार्रवाई करेंगे। प्रगति प्रतिवेदन से विदित होता है कि अभी तक 18 दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं हुई है और ना ही वसूली में भी कोई खास प्रगति हुई है। उन्हें निदेश दिया गया कि जल्द–जल्द दूकानों का बन्दोबस्ती करना सुनिश्चित करें, ताकि राजस्व की हानि नही हो।

7. <u>नीलाम पत्र :–</u>

निलाम पत्र से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम मे पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 69.55 लाख रूपये की वसूली हुई जो लक्ष्य का 9.06% है।

गत् बैठक में निलाम पत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि बैंक के शाखा प्रबंधकों से सम्पर्क कर बैंकवार शस्त्र बल के साथ ऋण वसूली का कार्य करेंगे एवं प्रत्येक सप्ताह नीलाम वाद की 03 सुनवाई करेंगे साथ ही ऋण वसूली हेतु यथोचित आदेश पारित करेंगे, परन्तु वसूली से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा कार्य में रूची नही दिखाई जा रही है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि ऋण वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

8. <u>परिवहन :–</u>

जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर यान निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 1.54 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति की गयी है एवं मोटर यान निरीक्षक द्वारा माह जुलाई तक 8.77 लाख रूपये की राजस्व की प्राप्ति की गयी है।

जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटर यान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि राजस्व प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करें एवं उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि टैक्स वसूली हेतु जो निलाम वाद दायर की गयी है, उसे पंजी IX एवं X से मिलान कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

9. <u>खनन :–</u>

जिला खनन से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में लक्ष्य के विरूद्ध 13.56% वसूली हुई है। जिला खन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रोयाल्टी की राशि इंजिनियरींग विभाग/प्रखंड से नहीं भेजने एवं जमा नहीं करने के कारण वसूली कम हो रही है।

जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से सभी संबंधित को पत्र लिखें।

10. <u>सहकारिता :–</u>

सहकारिता विभाग का उपलब्ध प्रतिवेदन शून्य दिखाया गया है। प्रतिवेदन शून्य दिखाने का क्या औचित्य है ? इस संबंध में अपर समाहर्त्ता अपने स्तर से पत्राचार करें।

11. <u>भूमि विकास बैंक :–</u>

भूमि विकास बैंक के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध 8.9% की वसूली हुई है जो बहुत ही कम है।

गत बैठक में प्रबन्धक भूमि विकास बैंक को निदेश दिया गया था कि बड़े बकायेदारों के विरूद्ध निलाम वाद दायर करेंगे एवं शत् प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करेंगे, परन्तु प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रबंधक द्वारा रूची नहीं ली जा रही है।

प्रबंधक भूमि विकास बैंक को निदेश दिया गया कि अपने कार्यक्लाप में बदलाव लायें एवं वसूली के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

समाहर्त्ता
मुंगेर।

ज्ञापांक 55 /दिनांक 29.8.13/

प्रतिलिपि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/ अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, मुंगेर/ राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी, मुंगेर/उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला अवर निबंधक, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमालपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, ह0 खड़गपुर/ जिला मत्स्य पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सहाकारिता पदाधिकारी, मुंगेर/जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक नियंत्रक, माप–तौल, मुंगेर,/प्रबंधक भूमि विकास बैंक, मुंगेर /आई0 टी0 प्रबंधक, समाहरणालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता
मुंगेर।

ज्ञापांक 55 /दिनांक 29.8.13/

प्रतिलिपि :– आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता
मुंगेर।